खबर संक्षेप

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

शहडोल। जिले के जैतपुर थाना क्षेत्रांतर्गत चौकी दर्शिला में 20 फरवरी को कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से मवेशियों को क्रूरतापूर्वक पीट-पीटकर ग्राम जरहाटोला तरफ से भूमकार की तरफ ले जा रहे हैं। सूचना पर दर्शिला पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सूचना स्थान पर दबिश देने पर ग्राम जरहाटोला जंगल में सर्च शुरु की गई, जिसपर एक व्यक्ति 05 नग पड़वा (मवेशियों) को क्रूरतापूर्ण तरीके से हांकत, रगड़ते, दौड़ाते हुये ले जा रहे थे, उक्त व्यक्ति को रोककर पूंछताछ करने पर नाम सुन्दरलाल जोगी पिता फूलचन्द जोगी उम्र 56 वर्ष निवासी जरहाटोला का होना एवं बताया कि जवाहर जोगी उर्फ मोहनदास जोगी जो मेरे को मजदूरी देता है। जवाहर जोगी के कहने पर पड़वा को खाड़ाखोह (छ.ग.) के रास्ते उत्तर प्रदेश तरफ ले जाना बताया। 05 नग पड़वा के खरीद की रशीद दस्तावेज के विषय में पूछा गया, जो अपने पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया। जिस पर दर्शिला पुलिस द्वारा उक्त 05 नग मवेशियों को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध पशुक्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मदरसा महमूदिया में जलसा आज

शहडोल। मदरसा महमूदिया बुढ़ार का सालाना जलसा 22 फ़रवरी को आयोजित होगा। मदरसा के संचालक मौलाना ज़रयाब साकिबी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बाद नमाज़ मगरिब शाम साढ़े 6 बजे से जलसा का आगाज होगा। जिसमे बतौर मेहमान ए खुसूसी मुफ़्ती महमूद हसन जबलपुर मौजूद रहेंगे। मदरसा संचालक मौलाना ज़रयाब ने जलसा में अधिकाधिक संख्या में आकर बच्चों की हौसला अफज़ाई करने की गुजारिश की है।

अभयारण्य में बढ़ रहा बाघों के लिए खतरा

बीटीआर में चल रहा अधिकारियों का जंगल राज

शहडोल। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा देश भर में बाघों के संरक्षण व उनके अभयारण्य की उत्तम व्यवस्था के लिए शोधपूर्ण अवधारणाएं विकसित की जा रही हैं और उन्हे विनियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघ संरक्षण योजना (टीपीसी) लागू की गई है, लेकिन बीटीआर सहित कुछ टाइगर रिजर्व अभी इस योजना की परिधि में नहीं आ सके हैं। इस योजना का खास उद्देश्य अभयारण्य प्रबंधन में सुधार लाना है। जबकि बीटीआर में अभयारण्य के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रतिबंधित क्षेत्र में ही कांक्रीट के पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं। कई जगह रिसोर्ट बनाए जाने के मामले भी प्रकाश में आए हैं। जबकि सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) मोहम्मद साजिद सुल्तान द्वारा हस्ताक्षरित निर्देश में कहा गया था ऐसे बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्र सख्त नियमों के साथ पूर्णतः प्रवेश वर्जित क्षेत्र होना चाहिए।

संरक्षण के विपरीत बढ़ रही बदहाली

सरकार बाघ अभयारण्यों के लिए चाहे जितने नियम बनाए लेकिन सच यह है कि स्थानीय अधिकारियों की गैरजिम्मेदाराना कार्यशैली से बीटीआर दिनोदिन बदहाली की ओर बढ़ता जा रहा है। स्थानीय पार्क प्रबंधन, रिसोर्ट/होटलों आदि के लिए पूंजीपतियों का कारिंदा बन कर रह गया है। पूजीपतियों का हित साधने के लिए राजपत्र व सरकार के द्वारा प्रचलित नियमों की अनदेखी कर बाघों के जीवन को खतरे में ही डाल रहा है। रिसोर्ट होटल मालिकों को कोर क्षेत्र में सुविधा देने से अधिकारी पीछे नहीं हैं। अभी वर्तमान में मामला यह आया है की बाहर से आए पूंजीपतियों/राजनेताओं / अधिकारियों को कोर सीमाओं पर रिसोर्ट निर्माण को नियम विरुद्ध तरीके से प्रचलित करवाया गया है। इस कार्य को तेजी से बढ़ावा दिया गया है। अधिकारी वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देश व सुप्रीमकोर्ट के आदेश को भी दरकिनार करने से बाज नहीं आते हैं।

सफारी की आवाजाही में धांधली

अधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जहां पर एक पारी में सुबह 74 पर्यटक वाहनों को प्रवेश दिया जाता है वहीं दूसरे तरफ उपरोक्त नियमों को दरकिनार करते हुए वर्तमान में मौजूद भारसाधक अधिकारियों द्वारा 17 व 18 फरवरी 2025 में सुबह की एक पारी में 76 से 83 वाहनों को प्रवेश दिया गया है। कैसे हुआ वाहनों का प्रवेश ? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में निर्धारित पर्यटक वाहनों की संख्या कुल 147 है जिसमें 74 सुबह और 73 शाम को वितरण की जाती है। जिसमें सुबह कुल निर्धारित पर्यटक वाहन 74 संख्या में 70 वाहन कोर क्षेत्र में नार्मल अनुज्ञा पर प्रवेश और दो अनुज्ञा मध्य प्रदेश टूरिज्म के कैंटर को दिया गया साथ तीन अनुज्ञा प्रबंधन द्वारा प्रचलित वर्कर समिति की वाहनों को दिया गया। जिससे कुल संख्या 75 हुई। संबंधित दिनांक को 6 फुल डे सफारी की भी अनुज्ञा पत्र भी जारी किया गया जिसे कुल वाहनों की संख्या 81 हो गई और निर्धारण क्षमता से अधिक वाहनों को प्रवेश दिया गया है।

मनचाहे गाइड और फोटोग्राफी की अनुमति

संरक्षण क्षेत्र के कोर जोन खितौली मैं छोटा भीम नमक बाघ के गले फंदे होने की सूचना पर्यटक द्वारा दी गई थी और अभी प्रबंधन द्वारा वर्तमान में पर्यटकों के लिए मनचाहे गाइडों की अनुमति जारी की गई है। जिसमें मनचाहे गाइडों द्वारा चंद पैसों की लालच में पर्यटकों को बाघ व अन्य वन्य प्राणियों के पास निर्धारित पर्यटन मार्ग से हटकर नाले व बाघों का मार्ग अवरुद्ध कर के रोडो से बाहर फोटो ग्राफी कराई जाती है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र संचालक द्वारा फूलडे सफारी में वाहनों के विंडस्क्रीन गिराकर फोटोग्राफी की अनुमति जारी की गई है। यही नहीं, भारत सरकार द्वारा पर्यटक वाहनों में तेज गति नियंत्रण हेतु गति सीमा 20 से 25 निर्धारित की गई है किंतु पर्यटन क्षेत्र में 30 से 60 की स्पीड वाहनों का संचालन खुलेआम हो रहा है। लोगों के शिकायत के बाद भी उपरोक्त वाहनों के ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि प्रबंधन के द्वारा वर्तमान में प्रचलित सभी नियम कानून को देखा जाए तो यह नियम कानून भारत सरकार राजपत्र व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।

वनपाल के घर का टूटा ताला, नगदी सहित जेवर पार

शहडोल। जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले मुमताज अली ने बताया कि पड़ोस के मोहल्ले में उनके रिश्तेदार रहते हैं, जिनके घर शादी का कार्यक्रम था, बीती रात्रि वह लगभग 09 बजे घर में ताला लगाकर परिवार के साथ शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए और रात 01 बजे वापस लौटे तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, जब उन्होंने अंदर जा कर देखा तो अलमारी में रखे सोने के जेवर एवं नगद 50 हजार चोरी हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों के साथ-साथ पुलिस को दी, जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी पड़ताल शुरू की। सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि वन विभाग में पदस्थ वनपाल के घर चोरी की वारदात बीती रात्रि 4 घंटे के बीच हुई है, घटना उस वक्त घटी है, जब परिवार के सभी लोग एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि चोर आस-पास के ही होंगे, घर से 50 हजार नगद एवं सोने के झुमके चोरी हुए हैं। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

अमित भाजपा का बड़ा नेता है, विरोध किया तो गाड़ देंगे

ज़मीन हड़पने को लेकर महिला से मारपीट, पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर

शहडोल। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरसरहा में जमीनी विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, फरियादी पूजा गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने जबरन उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, विरोध करने पर गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि यह ज़मीन भाजपा नेता अमित की है और उसे कोई नहीं छीन सकता। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया।

एफआईआर करने से इंकार

फरियादी पूजा गुप्ता के अनुसार, उनके पति रवि प्रकाश गुप्ता ग्राम नरसरहा स्थित आराजी खसरा नंबर 56/1/1/2 के मालिक हैं। 16 फरवरी 2025 को दोपहर करीब 12 बजे, कुछ लोग जबरन उनकी ज़मीन पर बाउंड्री बनाने की कोशिश करने लगे। उस समय उनके पति घर पर नहीं थे और वह अकेली थीं। जब उन्होंने विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें गालियां दीं और धमकी दी कि यह ज़मीन अमित की है, वह भाजपा का बड़ा नेता है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं। अगर तुमने विरोध किया, तो यहीं गड्ढा खोदकर गाड़ देंगे। पूजा का कहना है कि

जब उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़े का विरोध किया, तो आरोपियों ने उनसे मारपीट की, इस दौरान उनके पेट, जांघ, चेहरे और सिर पर चोटें आईं, जिससे खून निकलने लगा। गंभीर हालत में फरियादी कोतवाली पहुंचीं और शिकायत दर्ज करानी चाही, लेकिन पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई केस नहीं बनता। हालांकि, उन्होंने महिला का मेडिकल करवाया, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया।

जबरिया कब्जा की कोशिश

फरियादिया ने आरोप लगाया कि उसी रात 8 बजे, फिर से वही लोग आए और गुंडागर्दी कर जबरन बाउंड्री बनाने लगे। जब उन्होंने विरोध किया, तो आरोपियों ने कहा कि अभी तुझे समझ नहीं आया? इसके बाद उन्होंने लाठी-डंडों से मारपीट की। किसी तरह जान बचाकर पीड़िता फिर से कोतवाली पहुंचीं, लेकिन इस बार भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और सिर्फ मेडिकल करवा कर भेज दिया। पूजा गुप्ता ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि तहसीलदार सोहागपुर ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 295/3 ए-3/2024-25 के तहत आदेश पारित किया था, जिसमें आगामी सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद, अमित और उनके समर्थक जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और अपनी सुरक्षा की मांग की है।

यशवंत-आदित्य ने घर में घुसकर की तोडफ़ोड़

शहडोल। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बर्तन-चौका कार्य कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने वाली महिला सुभद्रा सिंह गोड़ पति भिम्मा निवासी वार्ड नंबर 31 स्टेशन रोड ने अजाक थाना में शिकायत दर्ज कराई कि यशवंत जायसवाल पिता स्व. जगजीवन दास जायसवाल द्वारा मुझे कई दिनों से अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, जातिगत गालिया तथा मेरी नाबालिक पुत्री के साथ दुव्र्यवहार कर रहे हैं। फरियादी अति गरीब है जिस कारण कई दिनों से अपने परिवार के साथ हो रहे दुव्र्यवहार एवं मारपीट को सहती रही, कई बार यशवंत द्वारा मुझे गालियां दी गई तथा मेरे साथ मारपीट भी की गई।

मारपीट के साथ जातिगत गालियां

18 फरवरी को यशवंत जायसवाल एवं आदित्य जायसवाल द्वारा मेरे घर आकर बंद ताले को जबरदस्ती तोड़ा गया तथा मेरे घर में रखे सामान को बाहर रोड एवं नाली में फेंक दिया, जब मैं मेरे पति पहुँचे तो विरोध करने पर यशवंत एवं आदित्य द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई तथा जातिगत गालियां दी गई। फरियादी कमजोर होने के कारण विरोध न कर सकी, किन्तु दरवाजा तोडऩे एवं घर के सामान को फेंकने का वीडियो अन्य व्यक्तियों द्वारा बनवाया गया है, उस पर यशवंत एवं आदित्य द्वारा वीडियो बना रहे अन्य व्यक्तियों को भी गालियां दी गई तथा बाद में देख लेने की धमकी दी गई।

कार्यवाही की मांग

फरियादिया ने बताया कि उक्त दोनों व्यक्ति यशवंत एवं आदित्य द्वारा मुझे एवं मेरे परिवार को जातिगत गालियां दी गई है तथा मेहनत एवं मजदूरी से मिले थोड़े-थोड़े धन को जोड़ कर लिये गये घरेलू सामान को घर के बाहर तोड़-फोड़ किया गया एवं समाज में मुझे मेरे परिवार को बेइज्जत किया गया है। पीड़ित ने पुलिस से मांग की है कि मेरे एवं मेरे परिवार के साथ हुई मारपीट एवं जातिगत गाली-गलौज तथा घर में घुस कर की गई तोडफ़ोड़ जिसका वीडियो ग्राफी भी किया गया है, वीडियो के आधार पर उक्त दोनो आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की जाये तथा फरियादी के परिवार को उक्त गुण्डों से खतरा है, जिसके चलते संरक्षण दिया जाये।

36 घंटे भूखे रहकर लोको पायलटों ने चलाई ट्रेन

शहडोल। लोको पायलट, सहायक और ट्रेन मैनेजर (गार्ड) की भारी कमी, साथ ही लदान लक्ष्य में निरंतर वृद्धि के कारण रेल कर्मचारियों को पर्याप्त आराम और छुट्टी न मिलने से शारीरिक और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप गाड़ियों के संचालन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके विरोध में रनिंग स्टाफ 36 घंटे भूखे रहकर 20 फरवरी की सुबह से काम करना शुरू किया था, रेल प्रशासन की उदासीनता और कर्मचारियों की बढ़ती समस्याओं के चलते ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने 20 फरवरी से एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के आह्वान पर रनिंग स्टाफ ने 36 घंटे भूखे रहकर ट्रेन चलाने का फैसला किया , उनका कहना था कि इस कदम के माध्यम से वे अपनी समस्याओं और रेलवे प्रशासन की अनदेखी को सामने लाना चाहते हैं। अक्सर रेल दुर्घटनाओं के बाद रनिंग स्टाफ को दोषी ठहराया जाता है। मगर, असल में ये दुर्घटनाएं कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक दबाव के कारण हो सकती हैं। लगातार लंबे समय तक काम करने और पर्याप्त आराम न

मिलने के कारण इन कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। लोको पायलटों के इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य रेल प्रशासन का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। उनके लिए उचित विश्राम और स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। यदि यह स्थिति नहीं सुधरी, तो आने वाले समय में रेल संचालन पर और अधिक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह स्थिति अब गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इससे अनेक लोको पायलट और अन्य रनिंग स्टाफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि डीए 50 प्रतिशत पहुंचने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारी के सभी भत्ते 7 वें पे-कमीशन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 25 प्रतिशत बढ़ा दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों के टीए के दर में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है, परंतु रनिंग स्टाफ को टीए के सापेक्ष मिलने वाले माइलेज दर में रेलवे के द्वारा कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। जिससे रनिंग स्टाफ में काफी आक्रोश है। रनिंग स्टाफ ने बताया कि रेलवे प्रशासन एवं सरकार रनिंग स्टाफ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि रनिंग स्टाफ ट्रेन संचालन की रीढ़ है और वह मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो कर प्रकृति के विरुद्ध सर्दी ,गर्मी, बरसात की चिंता किए बगैर निर्बाध गाड़ी संचालन कर देश के राजस्व प्राप्ति में अहम भूमिका निभाता है, परंतु सरकार उसी के अधिकारों का हनन कर उसे हतोत्साहित करने का कार्य कर रही है एवं उसे अपने जायज हकों के लिए भी बार बार आंदोलन करना पड़ता है। सरकार एवं रेलवे के इस रवैए के विरोध में देश भर के लोको पायलट ने 36 घंटे भूखे रहकर रेल संचालन करने का निर्णय लिया है।

पूर्ववत रहेंगी गणेश मंदिर की व्यवस्थाएं

शहडोल। संभागीय मुख्यालय के बुढ़ार रोड स्थित गणेश मंदिर की पूजापाठ संबंधी व्यवस्थाओं के संदर्भ में यह निर्णय किया गया है कि मंदिर का कार्य पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप संचालित होता रहेगा। इस संबंध में तहसीलदार सोहागपुर ने सदस्यों को सूचना दी है कि 21 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे मंदिर में कार्यकारी समिति के सदस्य उपस्थित होकर व्यवस्थाएं देखेगे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश 15 मार्च 2022 के द्वारा ट्रस्ट एक्ट के नियमों तथा शर्तों का पालन नहीं किए जाने से ट्रस्ट को भंग किया गया था और कहा गया था कि वर्तमान में जो मंदिर के पुजारी हैं वह पूर्व की भांति आगामी आदेश तक पूजापाठ करते रहेंगे। प्रत्येक दिवस की तत्कालीन व्यवस्था हेतु तहसीलदार सोहागपुर की अध्यक्षता में तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, थाना प्रभारी कोतवाली शहडोल एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर नंबर 1 सदस्यता में अस्थाई कार्य समिति मंदिर की व्यवस्थाएं देखने संबंधी आदेश पारित किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के संदर्भित आदेश के परिपालन में मंदिर में उपस्थित होकर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सडक़ हादसे में दो की मौत

उमरिया। नेशनल हाईवे 43 पर सडक़ के किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। घटना में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कमलेश राजपूत पिता राधा किशन उम्र 42 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी और विजय ठाकुरवानी पिता मनोहर ठाकुरवानी उम्र 50 वर्ष निवासी कैंप उमरिया शामिल हैं। हादसा पिपरिया पेट्रोल पंप के पास हुआ है। खबर है कि बाइक सवार पाली की ओर से उमरिया आ रहे थे, पिपरिया पेट्रोल पम्प के पास खड़े ट्रक के पीछे से टकरा गए। गंभीर रूप से घायल दोनों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। स्वजनों ने एंबुलेंस में ऑक्सीजन और डॉक्टर न होने पर हंमागा किया। वहीं कोतवाली प्रभारी सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया। इसके पहले भी कई बार जिला अस्पताल की लापरवाही देखी गई है। नेशनल हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास जिस ट्रक से बाइक के टकरा जाने से यह घटना हुई है, वह ट्रक यहां पर पिछले कई महीनों से खड़ा हुआ है। बताया गया है कि इस ट्रक की वजह से पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। इसके बावजूद पुलिस ने ट्रक को हटवाने की कोशिश नहीं की। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि सडक़ के किनारे खड़ा ट्रक पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है। हादसे को आमंत्रित करने वाले इस ट्रक को हटाने की मांग भी स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस से की है।

खबर संक्षेप

थाना रामनगर द्वारा लापता गुमशुदा को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया

रामनगर। रामकुमार अगरिया पिता गोरेलाल अगरिया उम्र 38 वर्ष निवासी मरघटी टोला ग्राम फुलकोना का थाना उपस्थित आकर जवानी रिपोर्ट लेख कराया कि इसकी शादी बुधबरिया अगरिया पिता घासी अगरिया निवासी साजाटोला थाना बिजुरी को 10-12 साल पूर्व पत्नी बनाकर रखा था। जिससे कोई संतान नही है। 05.04.2024 को सुबह करीबन 10 बजे यह घर में खाना पीना खाकर सो गया था घर में इसकी पत्नी बुधबरिया अगरिया थी शाम करीबन 4 बजे जब यह सोकर उठा तो देखा कि इसकी पत्नी बुधबरिया अगरिया घर में नहीं है। तब यह अपनी पत्नी बुधबरिया अगरिया पति रामकुमार अगरिया उम्र 28 वर्ष की पता तलास नात रिस्तेदारी में किया गया जो पत्नी का कोई पता नही चला। इसकी पत्नी का हुलिया रंग सावंला, उचाई 05 फिट, बदन एकहरा है कि सूचना पर गुम इंसान क्र0 12/24 कायम किया जाकर जांच में लिया गया। पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी कोतमा के द्वारा गुमशुदाओ का शीघ्र पता लगाकर दस्तयाबी करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया जिसके पालन में तत्परता से थाना रामनगर द्वारा गुमशुदा की पता तलाश उसके घर के आस पास के रहने वाले लोगों व रिश्तेदारों से गुमशुदा की विगत एक वर्ष से लगातार पता तलाश किया गया दौरान गुमशुदा को अपने पति के साथ थाना परिसर में बुलवाकर 20 फरवरी को गुमशुदा बुधबरिया अगरिया पति रामकुमार अगरिया उम्र 28 वर्ष निवासी मरघटी टोला फुलकोना को दस्तयाब किया जाकर गुमशुदा के परिजनो को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी रामनगर उपनिरी. सुमित कौशिक के कुशल नेतृत्व में प्रआर0 अमित पटेल, हरीश डेहरिया का योगदान रहा।

अवैध रेत परिवहन पर आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

जैतहरी। 20 फरवरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति तिपान नदी के जरेली घाट सें आममाडांड तरफ नीले रंग के सोनालिका कपंनी के ट्रेक्टर के ट्राली में अवैध रेत उत्खन्न कर ग्राम आमाडांड में खाली करने वाला है। मुखबिर की सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान तिपान नदी जरेली घाट सें आममाडांड तरफ आने वाले रास्ते पर गया तो नीले रंग के सोनालिका कपंनी के ट्रेक्टर डीआई 35 रजिस्ट्रेशन नं. 3690 लिखा हरे रंग की ट्राली लगाये ट्राली में फुल ट्राली 03 घन मीटर रेत खनिज भरे जरेली तरफ से आमाडांड रोड़ की ओर आते दिखा जिसे रूकवाकर पूछताछ की गई तो ट्रेक्टर चालक द्वारा अपना नाम शैलेष सिंह परस्ते पिता मिठाईलाल उम्र 25 वर्ष निवासी आमाडांड थाना जैतहरी बताया एवं स्वंय को गाड़ी का ड्राईवर होना बताया। ड्राईवर को धारा 94 इठरर का नोटिस देकर ट्रेक्टर ट्राली कागजात एंव ड्राईविंग लायसेंस तथा ट्राली में लोड रेत संबंधी टीपी पेश करने हेतु कहा गया जो रेत खनिज की टी.पी. नही होना बताया। स्वंय ट्रेक्टर का चालक होना बताया। मौके पर उपस्थित साक्षीयो के समक्ष रजिस्ट्रेशन नं. 3690 डीआई 35 सोनालिका कम्पनी का ट्रेक्ट को मय हरे रंग की ट्राली में लोड अवैध रेत 03 घन मीटर कीमती 5000 रुपए ट्रेक्टर ट्राली किमती 500000/- रुपए कुल मशरूका 505000 रूपये का मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया। चालक शैलेष सिंह परस्ते एवं वाहन स्वामी मंगल सिंह के विरुध्द धारा 303(2), 317(5) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान अति पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी, एसडीओ(पी.) सुमित केरकट्टा एवं थाना प्रभारी विपुल शुक्ला के दिशा निर्देश पर अवैध रेत चोरी पर कार्यवाही की गई है। उपरोक्त कार्यवाही में अमरलाल यादव चौकी प्रभारी वेंकटनगर आर. सोनू पर्ते का विशेष योगदान रहा है।

319 पन्नों की रिपोर्ट भी बेजान हुई, सीईओ तक नहीं पहुंच रहा चालान

सीईओ का वरदहस्त पाकर चांदी काट रहे घोटाले के आरोपी

पुलिस की विवेचना में बढ़ी आरोपियों की संख्या

उमरिया। जिले के पाली जनपद अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए लाखों के घोटाले के बाद जांच पड़ताल और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सीईओ जिला पंचायत ने जांच दल गठित कर जांच कराई, 319 पन्नों की व्यापक रिपोर्ट में भ्रष्टाचारों की पुष्टि हुई। मामले को कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में प्रारंभ में तो 13 लोगों के नाम बतौर आरोपी सामने आए थे, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान 25 लोगों के खिलाफ प्रकरण बनाया था। इतना सब होने के बावजूद भी आरोपियों का बाल बांका नहीं हुआ। कारण यह है कि सारी प्रक्रिया पेंच-पैतरों के साथ पूर्ण की गई। एक ओर जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की ओर से स्वयं को तटस्थ कर लिया और दूसरी ओर पुलिस ने भी कूटरचना की धारा नहीं लगाई। उसने मामला एक ऐसी धारा के तहत कायम किया जो कि जमानती है। हालांकि मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन आरोपी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वे आकाओं के पनाहयाफ्ता हैं, उनका कुछ नहीं होगा। जबकि आज भी सीईओ जिला पंचायत चाहें तो आरोपियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। आलम यह है कि आरोपी आज भी अपनी अपनी जगहों पर ड्यूटी करते हुए चांदी काट रहे हैं।

सीईओ नरमी बरत रहे

जिला पंचायत की जांच टीम ने 15 दिनों में जांच पूरी कर सौंप दी थी, इसके बाद भारी मन से पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया, इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को सिर्फ इतनी राहत दी कि सुसंगत धाराओं का उपयोग न करते हुए जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद जिला पंचायत के मुखिया की मंशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने न तो आज तक आरोपियों को उनकी पदस्थापना वाले स्थान से हटाया और न ही निलंबित किया, तो यह है कि भ्रष्टाचार के मामला प्रमाणित होने के बावजूद आज भी उनसे उसी पद पर कार्य लिया जा रहा है। नियमतः कथित कर्मचारियों को निलंबित कर अन्य जगह पदस्थ किया जाना चाहिए, लेकिन 13 कर्मचारियों को आज भी जिला पंचायत कार्यालय से अभयदान प्राप्त है। जिला पंचायत सीईओ इनसे राशि जमा कराकर इन्हे पाकसाफ करार दे देंगे।

विवेचना में यह भी आये सामने

इस पूरे मामले में विवेचना अधिकारी ने समय सिंह, राम निवास पाल, संजय सिंह, राज कुमारी पाल, लीला बैगा, पार्वती बैगा, संतरा बाई, जहमुन निशा, चंपी बाई, अमोल सिंह, रीना बाई, उदल सिंह का नाम विवेचना में बढ़ाया है। विवेचना अधिकारी को पूरे प्रकरण में कहीं भी कूटरचना रचना नजर नहीं आई, जबकि जांच दल द्वारा 319 पन्ने की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रकरण में कूटरचना का भी सहारा लिया है, चर्चा है कि विवेचक ने आरोपियों को राहत देने के उद्देश्य से कूटरचना की धाराओं को मामले में शामिल नहीं किया, जिससे आरोपी आज भी अपने-अपने कार्य में लगे हैं, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कथित कर्मचारी पूरे प्रकरण के दस्तावेजों से छेड़छाड़ न करे, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट हो चुके सिस्टम के आगे सबने हाथ खड़े कर दिये हैं।

इन पर दर्ज हुआ था प्रकरण

पाली थाना में धारा 420 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किए जाने के बावजूद आरोपी आज भी खुले में घूम रहे हैं, हालाकि मामला संभवतः अब न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें जनपद पंचायत का बाबू मोहम्मद नुबानी, पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी पतरूराम भगत, एवं चमन सिंह पंचायत सचिव तत्कालीन ग्राम पंचायत बरहाई, वर्तमान ग्राम पंचायत भौतरा, फूल सिंह पंचायत सचिव (तत्कालीन) ग्राम पंचायत बरहाई, वर्तमान ग्राम पंचायत महरोई, भुवनेश्वर सिंह ग्राम रोजगार सहायक बरहाई (तत्कालीन) सेवा से पृथक, राजेश कुमार यादव पंचायत सचिव (तत्कालीन) ग्राम पंचायत चंदनिया, वर्तमान ग्राम पंचायत कुशमहाखुर्द, राजाराम चंदेल पंचायत सचिव (तत्कालीन) ग्राम पंचायत गिंजरी, वर्तमान ग्राम पंचायत झांपी जनपद पंचायत करकेली. महाबीर सिंह पंचायत सचिव, (तत्कालीन) ग्राम पंचायत कठई, वर्तमान ग्राम पंचायत खिचकिड़ी, रामचरित सिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत कुरकुचा, रामप्रसाद पनिका, पंचायत सचिव (तत्कालीन) ग्राम पंचायत ममान, वर्तमान ग्राम पंचायत बरदढ़ार, शैलेन्द्र तिवारी पंचायत सचिव (तत्कालीन) ग्राम पंचायत ममान, वर्तमान ग्राम पंचायत धौरई, रविन्द्र सिंह, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मुदरिया, मो हुसैन खान, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत मेंढ?ी द्वारा हितग्राहियों के आवासों का गलत जियोटैग करने का दोषी पाये गये। इनके द्वारा शासकीय योजनाओं की राशि का दुरूपयोग करने, अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने, मरे हुये हितग्राहियों के नाम से राशि का आहरण फर्जी तरीके से किया गया।

कटघरे में जिला पंचायत

जिला पंचायत की कार्यशैली वर्तमान में कटघरे में हैं, बीते वर्षो में जिन-जिन कर्मचारियों पर आरोप लगे या सिद्ध हो गये, उन्हें तत्कालीन जिला पंचायत के मुखिया ने कार्यवाही कर उनके अधिकार छीन लिए थे, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों से कार्य लेने में कुशल जिला पंचायत के मुखिया ने बीते माहों में बगैर पूर्व के कार्यवाही के दस्तावेजों और प्रकरण देखे, सभी पंचायत के कर्मचारियों को प्रभार और अधिकार लौटा दिये, जिसके चलते जिला पंचायत की जमकर किरकिरी हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में खुद के कार्यकाल में 319 पन्नो की जांच रिपोर्ट आने के बावजूद भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्यवाही न कर पाना या न करना पूरे जिला पंचायत को कटघरे में खड़ा कर रहा है।

जनप्रतिनिधियों को नहीं सरोकार

प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 कर्मचारियों ने मिलकर जमकर फर्जीवाड़ा किया, इस पूरे मामले में जिले से एफआईआर के निर्देश होने के बाद सभी में यह आश जागी थी कि दोबारा अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ तो, बड़ी कार्यवाही देखी जा सकती है, लेकिन बीते माहों में जो कुछ हुआ, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योजना किसी की हो, नौकरशाह से बढ?कर कोई नहीं है, वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं को खुद के मुखिया की योजना में भ्रष्टाचार करने वालो को अब तक कार्यवाही न होने से कोई सरोकार नहीं है, इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध रखी है, जिससे नौकरशाही क्षेत्र में कितनी हावी है, यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

वन्य जीव हाथी के बच्चे का कंकाल तथा चमड़ा मिला

उमरिया। क्षेत्र संचालक बांधवगढ टाईगर रिजर्व ने बताया कि वन्यजीव हाथी के बच्चे के कंकाल प्राप्त होने की घटना, सोन नदी, कक्ष क्रमांक 458, बीट सेहरा बी, वनपरिक्षेत्र पनपथा कोर के अन्तर्गत प्रकाश में आई। घटना स्थल वन्यजीव हाथियों के नदी पार करने का स्थान था, जिससे स्पष्ट होता है कि संभवतः नदी पार करने के दौरान हाथी का बच्चा दलदल में फंसने के कारण सोन नदी मे डूब गया तथा मगरमच्छ जैसे जलीय जीवों द्वारा उपभोग कर लिया गया। इसके पश्चात अन्य स्थलीय मांसाहारी जीवों द्वारा सोन नदी की सतह से कंकाल को किनारे खींच लिया गया। घटना पर एनटीसीए नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी दिशा-निर्देश अनुरूप त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल को सुरक्षित किया गया व घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की कार्यवाही की गई। पोस्टमार्टम विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों डॉ. विपिन चन्द्र आदर्श, शासकीय पशुचिकित्सक, डॉ. वैभव शुक्ला. डब्ल्यू व्ही ए क्यू भोपाल द्वारा किया गया। वन्यजीव हाथी के बच्चे का कंकाल तथा कुछ चमड़ा घटना स्थल पर पाया गया है, छानबीन करने के दौरान वनकर्मियों द्वारा सोन नदी के सतह से कंकाल के अवशेष बरामद कर लिये गये तथा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शवदाह, भस्मीकरण की कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र संचालक डॉ अनुपम सहाय, डॉ. ज्ञानेन्द्र प्रजापति, एन.टी. सी.ए. प्रतिनिधि व अन्य की उपस्थिति में की गई। समस्त कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई है। प्रकरण में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 444/02 दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही जारी है।

फायलेरिया से बचाव के लिए खिलाई जा रही डीईसी एवं एलवेण्डा जोल की गोली

केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तरीय दल ने किया निरीक्षण

उमरिया। राष्ट्रीय फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर डीईसी एलवेण्डाजोल की गोलिया की खिलाई जा रही है, इसके साथ ही आईवरमेक्टिन की गोली का सेवन उम्र एवं ऊचाई के अनुसार कराया जा रहा है, जिसका निरीक्षण केंद्रीय दल, राज्य स्तरीय दल जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय टीम ने पाली नगरीय निकाय के वार्ड क्रमांक 2 में किया। निरीक्षण दल ने आम जनों से कहा कि फायलेरिया से बचने के लिए गोली का सेवन अवश्य करें और दूसरों को भी गोली खाने के लिए प्रेरित करें। अपने आस-पड़ोस में भी दवा सेवन करने के प्रति जगृत करें कि दवा खाने से कोई नुकसान नही है। निरीक्षण के समय जयाराम डब्ल्यू जेसीएफ, दीपक मिश्रा जीएचएस केन्द्रीय मानीटरिंग टीम, सीएमएचओ उमरिया डा एस बी चौधरी विमल जैन सीबीएमओ पाली, डा देवेन्द्र तोमर डब्ल्यू एच ओ राज्य सलाहकार, उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खलेसरनाका में संगम रोजगार मेला संपन्न

279 युवाओं को उपलब्ध कराया गया रोजगार

उमरिया। युवा अपनी रूचि के अनुसार कंपनी मे जाएं तथा चयनित होने पर उस कार्य को पूरी लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करें। इसके साथ ही जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय से संपर्क कर स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु शासन व्दारा चलाई जा रही है विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ उठाएं। उक्त आशय के विचार डिप्टी कलेक्टर एवं रोजगार अधिकारी अंबिकेष प्रताप सिह ने संगम रोजगार मेले का आयोजन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खलेसरनाका में आयोजित संगम रोजगार मेले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। आपने बताया कि कंपनी व्दारा विभिन्न योग्यताओं के आधार पर युवाओं का चयन किया जाता है, यदि आप उसकी योग्यता नहीं रखते है तो, उसकी तैयारी करें और संबंधित कंपनी से संपर्क कर उस कार्य को करें। आपने कंपनियों से संपर्क कर उनके व्दारा रोजगार के संबंध में युवक युवतियों को बताई जा रही जानकारी के संबंध में पूछताछ की तथा युवक युवतियों से बातचीत कर उनका हौसलाअफजाई किया। कार्यक्रम को व्याख्याता संजीव शर्मा, प्राचार्य आईटीआई व्हीड एन वर्मा ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्राचार्य आईटीआई व्ही एन वर्मा, रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय से संजीव शर्मा, जिला व्यावपार एवं उद्योग केंद्र से अमन सहित युवक एवं युवतियां उपस्थित रहे। मेले मे एच डी बी फाइनेंस उमरिया में 10 युवकों को, एलआईसी उमरिया 25 युवको, एसबीआई कार्ड 41 युवकों को, फोन पे में 32 युवकों को, निप्पोन में 32 युवकों को, डी मार्ट में 37 युवकों को, पेटीएम में 36 युवकों को, ग्रेट स्मार्ट में 24 युवकों को तथा मोबाइल पे में 42 कुल 279 युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वकीलों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025

अधिवक्ताओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात

राजेन्द्रग्राम। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वकीलों के स्वतंत्रता निष्पक्षता निर्भीकता के पेशे पर सीधा-सीधा प्रहार है तथा उनके कार्यों पर अंकुश लगाने का एक प्रयास किया जा रहा है इस तरह के बिल आने से अधिवक्ता ना रुके हैं ना झुकेंगे। अधिवक्ताओं न्यायपालिका का एक अंग के रूप में कार्य करते हैं आखिर सरकार यह बिल क्यों लाना चाहती है। एडवोकेट के रूप में महात्मा गांधी बाबा भीमराव अंबेडकर तथा जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर रह चुके हैं उन्होंने भी इस पेशे को अपनाया था एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विषय में अपनी बात रखते हुए पुष्पराजगढ़ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रज्जू सिंह नेताम ने कहा कि वकीलों का कार्य निष्पक्षता निर्भीकता पारदर्शिता के साथ हर जोखिम उठाकर करना होता है भय भी बना रहता है फिर भी बिना डरे आम जनमानस को न्याय दिलाने में कार्य करते हैं अपनी बात नहीं रख सकते अपनी मांग नहीं रह सकते ऐसा कैसे हो सकता है। हम दूसरों की लड़ाई न्याय के लिए लड़ते हैं लेकिन अपना खुद का हक लड़ाई नहीं लड़ सकते अपनी वाजिब मांग स्पष्टता के साथ नहीं रख सकते यह हमारे अधिवक्ता के अधिकारों पर हनन का प्रयास है। अपनी लड़ाई को किसके पास लेकर जाएंगे। युवक विधि की पढ़ाई पूरा कर वकालत के पेशे में आता है इससे वह रोजगार पाता है संबंधित पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए मन क्रम वचन से दिन-रात एक कर अपना कार्य बखूबी ईमानदारी के साथ करता है लेकिन उसके कार्यों पर रोक लगाना अंकुश लगाना कहां तक ठीक है यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है जिससे तत्काल रोका जाना चाहिए। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रज्जू सिंह नेताम ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खामियों के संबंध में बताते हुए कहा कि इस अधिनियम में वकीलों पर 3 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान है। इस बिल के निहितार्थ कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक है। सरकार की आखिर मंशा क्या है सरकार आखिर करना क्या चाहती है क्या संदेश देना चाहती है। इस बिल को रोकना ही चाहिए। यही हमारी सरकार से अपेक्षा है कि हमारी भावनाओं को समझे।

पीड़ितों ने लगाई गुहार कार्यवाही की दरकार

वृद्ध मां का सहारा लेकर अवैध अतिक्रमण के फिराक में अतिक्रमणकारी

कोतमा। मंसूर अहमद, अबरार अहमद, शाहनवाज अहमद ने तहसीलदार सोहागपुर को शिकायती पत्र देते हुये कार्यवाही की मांग की है। शिकायत मे लेख किया गया कि ग्राम-सोहागपुर, प०ह० सोहागपुर, जिला-शहडोल स्थित शासकीय आ०ख0नं0 1920 का जुज रकवा 0.25 एकड़ तथा उससे लगी हुई मौजा शहडोल, प०ह०शहडोल, रा०नि०नं० शहडोल, तहसील-सोहागपुर, जिला-शहडोल म०प्र० स्थित म०प्र० शासन की भूमि तालाब भीठा जो आ०ख0नं0 129 रकवा 0.30एकड़ है। उक्त भूमि में शुभदीप खरे पिता ब्रजमोहनदयाल खरे, जो पेशे से अधिवक्ता है, उसके द्वारा अवैध तरीके से उक्त शासकीय आराजियों में चोरी-छिपे ढंग से विगत एक सप्ताह से अवैध तरीके से भारी संख्या में निर्माण सामग्री गिराकर तथा अधिक संख्या में मजदूर व मिस्त्री लगाकर लगातार कार्य अवैध माकान निर्माण का कार्य करा रहा था। जिसकी जानकारी आवेदकगणों को प्राप्त हुई, तो आवेदकगण मौके पर गये, तो देखा कि उनके पुस्तैनी पट्टे, कब्जे दखल की मौजा सोहागपुर, प०ह० सोहागपुर स्थित आ०ख०नं० 1920/3 रकवा 0.121 हे0 भूमि जो उनके पूर्वज निसार अहमद की भूमि है। उक्त भूमि पर शुभदीप खरे द्वारा जबरन रास्ता बनाने के उद्देश्य से निर्माण सामग्री वहां भी किनारे तरफ रखा है और आवेदकगणों की भूमि से आना-जाना करते हुए अतिक्रमण कर रहा है। शुभदीप खरे द्वारा अपनी माता श्रीमती कृष्णा खरे के माध्यम से पूर्व में ग्राम सोहागपुर की शासकीय आ०ख०नं० 1920 रकबा 0.25 एकड़ तथा मौजा शहडोल स्थित आ०ख०नं० 129 रकवा 0.30 एकड़ भूमि जो तालाब भीठा है, पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। तब मुख्य नगरपालिका अधिकारी शहडोल के द्वारा दिनांक 26.05.1992 को अवैध निर्माण कार्य को नोटिस देकर बलपूर्वक तहसीलदार सोहागपुर के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। पूर्व में उक्त मौजा सोहागपुर एवं शहडोल स्थित शासकीय भूमियों के संबंध में शुभदीप खरे द्वारा अपनी मां श्रीमती कृष्णा कुमारी खरे के माध्यम से एक पृथक से व्यवहार वाद श्रीमान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश महोदय शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शहडोल के समक्ष श्रीमती कृष्णा कुमारी बनाम म०प्र० शासन जरिये कलेक्टर एवं अन्य के विरूद्ध मौजा सोहागपुर स्थित आ०ख0नं0 1920 रकवा 0.99 एकड़ एवं मौजा शहडोल स्थित आ०ख0नं0 129 रकवा 0.50 एकड़ भूमि का भूमिस्वामी घोषित किये जाने बावत फर्जी व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत की थी, जो व्यवहार वाद क्रमांक 66ए /2013 संस्थित दिनांक 27.02.1997 में पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें बाद सुनवाई दस्तावेजों का अवलोकन कर शुभदीप खरे की मां की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज को संदिग्ध व कूटरचित अपंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 18.09.1961 एवं दिनांक 19.10.1961 को प्रमाणित न पाते हुए व्यवहार वाद खारिज कर दिया था। शुभदीप खरे द्वारा जानबूझकर अपनी वृद्ध मां का सहारा लेकर मौजा सोहागपुर स्थित आ०ख0नं0 1920 रकबा 0.25 एकड एवं मौजा शहडोल स्थित आ०ख0नं0 129 स्कवा 0.30 एकड़ तालाब भीठा की भूमि पर अवैध रूप से अपना स्वामित्व दिखाते हुए कई बार उक्त भूमि पर निर्माण कार्य एवं अतिक्रमण की नापाक कोशिश की गई है. किन्तु प्रशासन की सर्तकता के कारण वह अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सका है। शुभदीप खरे द्वारा पुनः विगत एक सप्ताह से मौजा सोहागपुर स्थित आ०ख0नं0 1920 रकवा 0.25 एकड़ एवं मौजा शहडोल स्थित आ०ख0नं0 129 रकवा ऊ.30 एकड़ भूमि जो तालाब भीठा की है, उस पर अवैध रूप से माकान निर्माण करने के उद्देश्य से कॉलम, बीम व दीवाल निर्माण हेतु काफी निर्माण सामग्री मौके पर गिराया है और चोरी-छिपे ढंग से काफी संख्या में मजदूर व मिस्त्री लगाकर उक्त शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण का कार्य कर रहा है। आवेदकगण को जब शुभदीप खरे द्वारा कराये जा रहे अवैध निर्माण कार्य की जानकारी लगी, तो मौके पर जाकर देखे कि शुभदीप खरे उपरोक्त शासकीय भूमियों में अवैध निर्माण कार्य कराने के साथ-साथ आवेदकगण की पुस्तैनी कब्जे दखल व पट्टे की मौजा सोहागपुर स्थित आ०ख०नं० 1920/3 रकवा 0.121हे0 जो शुभदीप खरे के शासकीय भूमि पर किये जा रहे अवैध निमार्णाधीन भूमि से लगी हुई है पर भी शुभदीप खरे द्वारा जबरन आने-जाने का रास्ता बनाते हुए कुछ निर्माण सामग्री आवेदकगण की भूमि पर भी गिराये हुये है और मना करने पर बोलता है कि मैने प्रशासन से अनुमति लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया है. तुमको जो करना है करो, मंभ किसी से नही डरता हूँ और गाली-गलौज देते हुए मारपीट को आमादा होता है। तीनों आवेदको ने मांग की है कि मौजा सोहागपुर स्थित शासकीय आ०ख0नं0 1920 रकवा 0.25 एकड़ एवं मौजा शहडोल स्थित आ०ख०न० 129 रकवा 0.30 एकड़ पर शुभदीप खरे द्वारा कराये जा रहे अवैध माकान निर्माण कार्य को तत्काल रोकवाया जाकर अतिक्रमण मुक्त कराते हुए आवेदकगण की मौजा सोहागपुर स्थित आ०ख०नं० 1920/3 रकबा 0.1210 भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाकर उसके विरूद्ध ठोस कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

खबर संक्षेप

सामूहिक विवाह सम्मेलनों की तिथियां प्रस्तावित

कटनी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024‘-2025 हेतु में आयोजित होने वाले सामूहिक सम्मेलनों के लिये परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा तिथियों का अनुमोदन किया गया है, जिसके अनुसार फरवरी माह की 6 एवं 7 तारीख को जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उपसंचालक नयन सिंह द्वारा एक पत्र जारी करते हुए जनपद पंचायत विजयराघवगढ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित नगर परिषद बरही एवं विजयराघवगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाय योजना के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार सामूहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में अपने क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाकर नियत तिथि पर लक्ष्य के अनुसार जोड़ों को सम्मिलित कराते हुये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कराये का लेख किया है।

दो युवकों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

कटनी। अलग अलग कारणों से दो युवकों ने आत्महत्या कर ली। घटना एनकेजे थाना क्षेत्र की है। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अंकित उर्फ बिट्टू चौधरी रमेश चौधरी 19 निवासी एनकेजे फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने बताया कि परिजनों से हुए बयानों के आधार पर पता चला है कि युवक ने अपनी मां से पांच हजार रुपये खर्चे के लिए मांगे थे लेकिन मां ने कुछ रुपये तो दिए लेकिन कुछ रुपये देने के लिए कुछ समय मांगा था। इस बात से युवक नाराज हो गया और कुछ देर बाद फांसी के फंदे पर लटक गया। दूसरे मामले में मनोज पिता नरेश पटेल 35 निवासी केवलारी थाना एनकेजे फांसी पर लटका मिला। पुलिस मामले की जांच में लिया है। दोनों मामलों में पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करवाई करवाकर शव को पीएम के लिए रखवाया है।

सड़क हादसों में प्रौढ़ एवं युवक की मौत

कटनी। सड़क हादसों में घायल एक प्रौढ़ एवं युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक लक्ष्मी प्रसाद यादव पिता खुशीराम यादव 65 निवासी ग्राम भगनवारा थाना स्लीमनाबाद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए मर्ग प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। इसी प्रकार स्लीमनाबाद क्षेत्र में ही मनोज प्रसाद शाह पिता किशुन शाह 42 निवासी मोरी रोड महिम मुंबई महाराष्ट्र की सड़क दुर्घटना से घायल होने के कारण इलाज दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराते हुए मर्ग प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

अशासकीय विद्यालयों की मान्यता की आवेदन तिथि बढ़ी

कटनी। अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 25 फरवरी निर्धारित की गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी के बाद अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। मान्यता संबंधी निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे। शिक्षण सत्र 2025-26 के लिये अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। अशासकीय विद्यालयों की दिक्कतों को देखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन तिथि में वृद्धि की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना लागू की है। योजना का नोडल अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग निर्धारित किया गया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 6 विभागों की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर सीधे विद्यार्थी के खाते में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

रिलायंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित त्रि-दिवसीय शहडोल जूनियर फुटबाल लीग मैच में ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों ने सराहनीय खेल प्रदर्शित किया

फायनल मैच में हर्री बालक तथा धुरवार बालिका टीम रही विजेता - चमचमाती ट्राफी देकर विजेता एवं उपविजेता टीम का उत्साह वर्धित किया गया

बुढार ।

खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करनें रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शहडोल जूनियर फुटबाल लीग मैच का त्रिदिवसीय आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालय के छात्र-छात्राओ नें प्रतियोगिता में हिस्सा लिये और उदीयमान खिलाड़ियों नें खेल भावना से खेल प्रदर्शित किये जिसका उपस्थित जनों नें प्रतिभागियों का भरपूर उत्साहवर्धन किये।

ग्राम लालपुर विद्यालय ग्राउंड मे रिलायंस फाउंडेशन लालपुर द्वारा शहडोल जूनियर फुटबाल लीग मैच के तीसरे संस्करण का यह आयोजन रहा, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं नें रिलायंस द्वारा कुशल प्रशिक्षकों से खिलाड़ियों को खेल की विधा से निपुण कराये जानें के उपरांत आयोजित फुटबाल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों नें अपनी सहभागिता निभाई। शहडोल जूनियर फुटबाल टूर्नामेंट लीग मैच सत्र 2024-25 के फायनल मैच के उपरांत टूर्नामेंट का समापन समारोह एस.डी.एम. सोहागपुर अरविन्द शाह के मुख्यातिथ एवं ग्राम पंचायत लालपुर सरपंच श्रीमती रामकली बैगा की अध्यक्षता तथा सहायक संचालक खेल रईस खॉन, रिलायंस आपरेशन हेड -सुशील शरन, मेन्टेनेंस हेड - राजेन्द्र चौहान, लायजनिंग हेड - बिजीत झा, सी.एस.आर हेड - राजीव श्रीवास्तव, मुख्य सुरक्षा अधिकारी शहनवाज खान, अजीत सिंह, आर.के. सिंह, कृष्णेन्द्र घोष, रोबिन राज महतो, नीरज श्रीवास्तव, संदीप साहू, जनपद सदस्य निशावीर नायक, सरपंच कंचनपुर मलेश बैगा, उपसरपंच दीपेंद्र सिंह, सुरेन्द्र साहू, सचिव रामनरेश शर्मा, एवं, एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य विनय सिंह, सज्जन पाण्डे के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया।

शहडोल जूनियर फुटबाल टूर्नामेंट लीग मैच का पहला फाइनल मैच हर्री एवं धुरवार बालक टीम के मध्य खेला गया जिसमें सराहनीय खेल प्रदर्शित करते हुये हर्री टीम नें 3/2 से विजयी हांसिल की वहीं दूसरा फाइनल मैच धनगवा एवं धुरवार बालिका टीम के मध्य हुआ जिसमें रोचक खेल प्रदर्शित करते हुये धुरवार टीम पेनाल्टी शूट में 3/2 से जीत हांसिल कर विजेता ट्रॉफी पर अपना कब्जा की। समापन समारोह के मुख्यातिथ एस.डी.एम. सोहागपुर अरविन्द शाह नें टुर्नामेंट के प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुये कहाकि - खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करनें के लिये रिलायंस द्वारा सार्थक पहल की जा रही है, जिससे निश्चित ही प्रतिभागी आनें वाले समय में अपना तथा अपनें जिले का नाम रोशन करेंगे, खिलाड़ी सदैव खेल भावना से अपनें लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों निश्चित ही सफलता हांसिल होगी।

विशिष्ट अतिथि जिला सहायक संचालक खेल रईस खॉन नें कहाकि - पूर्व संभागायुक्त श्री राजीव शर्मा जी नें सत्र 2020 में फुटबाल क्रांति का सपना साकार किये और विलुप्त हो रहे इस खेल को नया आयाम हांसिल हो सका जो खेल के क्षेत्र में अतिउपलब्धि पूर्ण है। उन्होंनें कहाकि - रिलायंस फाउंडेशन द्वारा फुटबाल खेल को नई गति अर्जित करायी जा रही है, और नन्हें-मुन्ने खिलाड़ियों को खेल की दिशा मे कुशल प्रशिक्षकों से खेल के विविध आयामों से प्रशिक्षित कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप खिलाड़ियों की प्रतिभा उभर रही है, और रिलायंस के इस पहल पर गणतंत्र दिवस पर जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया जो स्वागत योग्य रहा।

रिलायंस सी.एस.आर. हेड - राजीव श्रीवास्तव नें कहाकि - अंचल के छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसका सार्थक परिणाम रहा है, फुटबाल क्रांति को गति प्रदान करनें भरसक प्रयास किया जा रहा है, और राष्ट्रीय खेल फुटबाल हेतु 13 सेन्टर स्थापित कर प्रशिक्षकों से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कराया जा रहा है, जिसमें 400 विद्यालयीन बच्चे इसका लाभ लें रहे हैं, और खेल के क्षेत्र में ऐसे प्रतिभागियों को राष्ट्रीय खिलाड़ियों से परिचय करानें का स्तुत्य पहल भी की जा रही है।

प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को मुख्यअतिथि व अतिथियों नें चमचमाती ट्राफी प्रदान किया जिसे पूरे उत्साह के साथ खिलाड़ियों नें प्राप्त किया। टूर्नामेन्ट के समापन समारोह का सफल संचालन डॉ समीम खान नें किया। त्रिदिवसीय शहडोल जूनियर फुटबाल टूर्नामेंट के तीसरे दिवस का पहला सेमीफाइनल मैच रेऊला एवं हर्री बालक टीम के मध्य खेला गया जिसमें हर्री 1/0 से विजयी रही, दूसरा सेमीफाइनल मैच साबो बस्ती एवं धुरवार टीम के बीच खेला गया जिसमें धुरवार 2/0 से विजयी रही, वहीं पहला सेमीफाइनल मैच देवरी एवं धनगवा बालिका टीम के मध्य खेला गया जिसमें धनगवा 1/0 से विजयी रही, दूसरा सेमीफाइनल मैच हर्री एवं धुरवार बालिका टीम के मध्य हुआ जिसमें धुरवार 3/0 से जीत हांसिल की, और हर्री और देवरी के मध्य तीसरे सेमीफायनल मैच बालिकाओं के मध्य खेला गया जिसमें देवरी ने पेनाल्टी शूट से 3/2 से विजयी रही, एवं रेऊला एवं साबों बस्ती के मध्य तीसरे स्थान के लिए बालकों का मैच खेला गया जिसमें रेऊला पेनाल्टी शूट में 3/2 से विजयी रही। पहला फाइनल मैच हर्री एवं धुरवार बालक टीम के मध्य खेला गया जिसमें हर्री 3/2 से विजयी रही, वहीं फाइनल मैच धनगवा एवं धुरवार बालिका टीम के मध्य खेला गया जिसमें धुरवार पेनाल्टी शूट में 3/2 से विजयी रही।

टूर्नामेंट के समापन अवसर पर - रिलायंस के मनोज त्रिपाठी, अश्वनी शर्मा, विरेन्द्र प्रजापति, राजकुमार डोलिया, अनुराग सिंह, अभिलाष तिवारी, कुंवरबली सिंह, अपूर्वा टोप्पो की उपस्थिति रही। वही ग्राम के प्रदीप सिंह की विशिष्ट उपस्थिति रही। मैच में निर्णायक की भूमिका सीताराम सहिस, अक्षत द्विवेदी, आंचल केवट, जसराम साहू, राजू बैगा, आशीष साहू, शंकर दाहीया, रेनू केवट ने निभाया और खिलाड़यों को खेल की दिशा में संग्राम सिंह, राहुल पटेल ने प्रोत्साहित किया, वहीं रंजीत सिंह, सुजीत सिंह, रवि द्विवेदी, धरमदत्त द्विवेदी, दिलीप नामदेव, प्रदीप गुप्ता, पुष्पेंद्र नें टूर्नामेंट में अपेक्षित सहभागिता निभाई।

कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये तीन शिफ्टों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी

हरिभूमि न्यूज ⏭ बरही

प्रयागराज महाकुंभ मेला के दौरान जिले के रेल्वे स्टेशनों एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए कटनी जंक्शन, मुड़वारा एवं अन्य रेलवे स्टेशन व इसके आस-पास के क्षेत्रों में काननू एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर 28 फरवरी तक के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गयी है।

तीन शिफ्ट में ड्यूटी

यह ड्यूटी प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक, सायं 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक एवं रात्रि 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 3 शिफ्टों में लगाई गयी है।

इन कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की लगाई गयी ड्यूटी

अपर जिला मजिस्ट्रेट साधना परस्ते द्वारा जारी आदेश में 21 फरवरी को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नेहा जैन नजूल कटनी, शिवभूषण सिंह मुड़वारा-2, नरेन्द्र कुमार खरे देवराकलां की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह 22 फरवरी को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अनुराधा सिंह विलायतकला, अतुलेश सिंह पहाड़ी, खगेश भलावी बड़गांव की ड्यूटी लगाई गई है।

23 फरवरी को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आकाशदीप नामदेव कटनी, संदीप सिंह बड़वारा, मनीष शुक्ला विजयराघवगढ़ की ड्यूटी लगाई गई है। जबकि 24 फरवरी को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रसन्न कुमार वर्मा सिंगौड़ी, रामटेके हर्षवर्धन कटनी, अजय कुमार मिश्रा उमरियापान की ड्यूटी लगाई गई है।

इसी प्रकार 25 फरवरी को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा चौरसिया रीठी, नितिन कुमार पटेल बरही, मनोज नामदेव खितौली की ड्यूटी लगाई गई है। जबकि 26 फरवरी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अजीत तिवारी ग्रामीण, आशीष अग्रवाल ढीमरखेड़ा, आदित्य प्रकाश द्विवेदी बहोरीबंद की ड्यूटी लगाई गई है एवं 27 फरवरी को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सारिका रावत स्लीमनाबाद, गौरव पाण्डेय कटनी, रामटेके हर्षवर्धन कटनी की ड्यूटी लगाई गई है।

अंधत्व का शिकार: नगर का खुफिया पहरेदार शोभा की सुपारी बनकर रह गए नगर के चौराहों तिराहों में लगे सीसीटीवी कैमरे

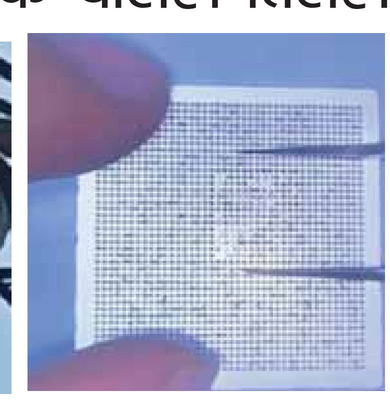

धनपुरी।

शहर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाजारों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे कई सालो से बंद पड़े हैं। नगर पालिका की ओर से कैमरों की मरम्मत कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आज हर शहर में सी सी टीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे मिल जाएंगे। लेकिन यहां शहर की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। आजाद चौक में सीसी कैमरा तो लगाई गई थी लेकिन मरम्मत के अभाव में वर्षों से बंद पड़ी है।नपा का कोई नहीं रूचि धनपुरी थाना में शांति समिति की बैठक में सुरक्षा की दृष्टि से कई बार आवाज उठाई गई अगर सीसी कैमरा लगाने के लिए नगरपालिका कोई रुचि नहीं ली जा रही है। कई बार छुटपुट दुर्घटनाऐ चोरों को पुलिस पकड़ने के लिए सीसी कैमरा का सहारा लिया जाता था लेकिन अब तो कई साल से सीसी कैमरे की मांग के बावजूद सीसी कैमरा आज तक नहीं लग पाया है।सीसी कैमरा नदारतवार्ड नंबर 1 नेहरू चौक दुर्गा स्टेज तिग्गे पर डिस्प्ले लगाया गया था वही लाल सिग्नल की व्यवस्था कि गयी थी जो अब देखने को नहीं मिल रही है। नगर वासियों ने कहा कि नगर पालिका सौंदर्णीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन नगर के हृदय स्थल पर कई साल से सीसी कैमरा की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा नहीं कर पा रही है जो नगर हित में आवश्यक है।सीसीटीवी सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं।कैमरे का खंभा गिरा उन्होंने बताया कि नगरपालिका के द्वारा कुछ वर्षों पूर्व मुख्य स्थल व आजाद चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे।सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम शहर थाना में बनाया गया था कैमरे लगवाने के कुछ माह बाद से ही मेंटेनेंस के अभाव में खराब होने का सिलसिला शुरू हो गया था। नगर पालिका के द्वारा मेंटेनेंस नहीं कराया गया जिससे सीसी टीवी जिस खंबे पर लगा गया था वह खंबा ही गिर गया है।

धनपुरी आजाद चौक में सीसीटीवी कैमरे लगने के कारण पुलिस को चोरी आदि वारदात को सुलझाने व आरोपियों की पहचान करने में मदद मिलती थी। सीसीटीवी कैमरे खराब होने से पुलिस को भी मदद नहीं मिल पा रही है।चोर हुए छोकछंदनगर में जब भी छुटपुट घटनाएं चोरी की घटना को अंजाम चोरों को द्वारा दिया जाता है तब सीसी कैमरा की याद नगर वासियों को व थाना के लोगों को सीसी कैमरा कई माह से बंद होने को लेकर पूर्व में शांति समिति की बैठक में पूर्व नगरपालिका सीएमओ को मेंटेनेंस कराने की मांग की गई थी लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में चोर भी चोरी कर नौ दो ग्यारह हो जाते हैं और चोरों को पकड़ने तलाशने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है तीसरी आंख से कोई नहीं बच सका आजाद चौक में तीसरी आंख की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

नेयुके के तत्वाधान में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन

विभिन्न खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

नेहरू युवा केंद्र कटनी (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार) के तत्वाधान में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कटनी के खेल मैदान में किया गया द्य इसमें 200 मीटर दौड़ (पुरुष) ,100 मीटर दौड़ (महिला), गोला फेंक (पुरुष), गोला फेंक (महिला), रस्सा कसी (पुरुष), खो-खो (महिला) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा खिलाड़ीयों के परिचय के पश्चात किया गया। नेहरू युवा केंद्र कटनी की जिला युवा अधिकारी श्रीमती कीर्तिका कुहर ने विकासखंड एवं जिला स्तरीय खेल कूद कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं खिलाड़ियों को शुभकामनाए दीं। जिला स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम में कटनी जिले के रीठी, विजयराघवगढ़ एवं बहोरिबंद विकासखंड स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम के विजेता उपविजेता टीमे तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ियों ने भाग लिया। खो-खो प्रतियोगिता में बरही टीम विजेता एवं रीठी टीम उपविजेता रहीं। रस्सा कसी में स्लीमनाबाद टीम विजेता एवं बरही टीम उपविजेता रही। एथलेटिक्स खेलों में 100 मीटर दौड़ (महिला) में अंकित बड़गैया प्रथम, योगिता केवट द्वितीय, अंशिका कोल तृतीय रहीं। 200 मीटर दौड़ (पुरुष) में दिव्य पटेल प्रथम, आशीष हल्दकार द्वितीय, मयूर तृतीय रहे।

जबकि गोला फेंक (महिला) में आयुषी प्रथम, दीपाली द्वितीय, पूनम साहू तृतीय रही। गोला फेंक (पुरुष) में सार्थक यादव प्रथम, तरुण अग्रहरि द्वितीय, प्रियांशु कोरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि दीपक सोनी टंडन, मृदुल मिश्रा, डॉ व्ही.के. द्वितीय, सहायक प्राध्यपक, शांतनु दत्ता मंडल उपाध्यक्ष भाजपा के स्वागत उपरांत मुख्य अतिथि ने अपने सम्बोधन में कहा की नेहरू युवा केंद्र युवाओ में रचनात्मक प्रवृत्ति पैदा करके राष्ट्र निर्माण में युवाओ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये निरंतर प्रयास करता है और युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में जोड़े रखने का काम करता है। खेल- कूंद कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओ के लिए अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर है और उन्हे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल का अवसर मिलेगा। सभी विजयी खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई एवं शुभकामनाए दीं। अतिथियों ने विजयी खिलाड़ियों एवं टीमो को खेल किट, ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।

खेल प्रतियोगिता के आयोजन में डॉ. राजकुमार, डॉ. आदित्य गढेवाल, सलमान अहमद , वंदना डेबिड, मधु शर्मा आदि मौजूद रहे।

श्रद्धालुओं को भोजन दिलवाने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगी

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जिले में स्थित समस्त रेल्वे स्टेशन एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रयागराज आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को निर्धारित दरों में गुणवत्तापूर्ण भोजन व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दायित्व जिला प्रशासन द्वारा तीन अधिकारियों को सौंपा गया है।इन अधिकारियों की ड्यूटी महाकुंभ मेला कार्यक्रम समाप्ति तक रेल्वे स्टेशनों के समीप स्थित दुकानों की निगरानी के लिए लगाई गई है।

प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला कार्यक्रम में शामिल होने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की रेल्वे स्टेशन और आस -पास की दुकानों में गुणवत्तापूर्ण और उचित दर पर खाद्य सामग्री, नाश्ता, भोजन आदि दिलवाने और निगरानी की जवाबदारी सौंपी गई है।

ये निभायेंगे दायित्व

प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला कार्यक्रम संपन्न हो रहा है जिसमें अत्याधिक संख्या में श्रद्धालुओं यात्रियों का आवागमन कटनी जिला से रेल मार्ग के माध्यम से हो रहा है उक्त को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रीमती देवकी सोनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक और ब्रजेश विश्वकर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमप्रकाश साहू की ड्यूटी रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक लगाई गई है। अपर कलेक्टर साधना परस्ते ने इन तीनों अधिकारियों का ड्यूटी आदेश जारी कर दिया है।

खबर संक्षेप

फसल में लगी आग, लगभग 25 हजार का नुकसान

अनूपपुर। फुनगा चौकी अंतर्गत धनगवां गांव में रहने वाले संत कुमार कोल के कृषक भाई के खेत में लगी अरहर और मसूर दाल की फसल को किसी अज्ञात बदमाश द्वारा जलाकर स्वाहा किये जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि फरियादी अपने खेत में तीन माह पूर्व अरहर और मसूर की फसल बोया था जो पककर तैयार हो गई थी। किसी अज्ञात तत्व के द्वारा आग लगाकर जला दी गई है। फसल के जल जाने से लगभग 20 से 25 हजार के नुकसान होने की जानकारी बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच कर रही है।

पुष्पराजगढ़ में 25 व जैतहरी में 26 फरवरी को होगा सामूहिक विवाह का आयोजन

अनूपपुर। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए निदेशों के परिपालन में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की तिथियां निर्धारित की है। जिसके अनुसार मंगलवार 25 फरवरी को जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नगर परिषद अमरकंटक तथा जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायतों के वर-वधु सम्मिलित होंगे। बुधवार 26 फरवरी को जनपद पंचायत जैतहरी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नगरपालिका परिषद अनूपपुर तथा नगर परिषद जैतहरी, बरगवां (अमलाई) तथा जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायतों के वर-वधु सम्मिलित होंगे।

अयोध्या धाम की यात्रा के लिए 26 मार्च को रवाना होगी विशेष ट्रेन

अनूपपुर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम की यात्रा हेतु विशेष ट्रेन 24 जनवरी को रवाना होनी थी तथा 29 जनवरी 2025 को जिले में वापस होनी थी। किन्तु अपरिहार्य कारणों से अब यह ट्रेन 26 मार्च को अनूपपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम की यात्रा हेतु रवाना होगी तथा 31 मार्च 2025 को जिले में वापस होगी। उक्ताशय की जानकारी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक के.के. सोनी ने दी है।

नाबालिग किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

कोतमा। थाना अंतर्गत सड्डी गांव मे गुरुवार को 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के फांसी लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार भालूमाड़ा थाना अंतर्गत पयारी गांव निवासी चैतू अगरिया की 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने फूफा चंद्रिका अगरिया के यहां एक महीना से घूमने आई थी। गुरुवार को दोपहर 3 बजे यह घर से निकली थी उसके बाद लगभग 3:30 बजे कुछ लोगों ने बताया कि घर से 200 मीटर दूरी पर खेत में लगे तेंदू के पेड़ में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए पंचनामा तैयार कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है।

समाचार पत्र हाकर के साथ मारपीट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अनूपपुर। संतोष कुमार सोनी पिता चुन्नीलाल सोनी उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 चेतना नगर अनूपपुर के द्वारा शुक्रवार की सुबह थाना कोतवाली अनूपपुर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह जब वह समाचार पत्र (पेपर) बांट रहा था तभी रविशंकर केशरवानी निवासी आदर्श मार्ग अनूपपुर के द्वारा पेपर मत डालना कहकर मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दिया और वहीं पर ही लोहे की रॉड मुँह में मारा जो होंठ से खून निकलने लगा उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 71/25 धारा 296,115 (2), 351(3) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया जाकर प्रधान आरक्षक संदीप साहू, आरक्षक राजेश बड़ोले, दीप दीपक बुन्देला के द्वारा आरोपी रविशंकर केशरवानी पिता विजय कुमार केशरवानी उम्र 34 साल निवासी वार्ड न. 08 स्टेट बैंक मार्ग अनूपपुर को गिरफ्तार किया जाकर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

पर्याप्त राजस्व मिलने के बाद भी कोतमा स्टेशन की अनदेखी

मूलभूत सुविधाओं से वंचित रेल यात्री

बदतर स्थिति के कारण यात्रियों के साथ पशुओं की भी स्टेशन में उपस्थिति

अनूपपुर/कोतमा। कोतमा रेलवे स्टेशन मे अव्यवस्थाओ का अंबार लगा हुआ है। यहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। देखने को तो जगह जगह शौचालय बना हुआ है पर उसमें दिन भर ताला लटका रहता है और लोगो को शुद्ध पेयजल तो दूर पानी ही नहीं मिल पा रहा है। पूरे रेलवे स्टेशन में गंदगी का अंबार लगा रहता है। कोतमा रेलवे स्टेशन मे मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा बचा है यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है और न ही पीने के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था है और सुलभ शौचालय मे हमेशा ताला ही लटका रहता है। रेलवे प्रबंधन इस ओर ध्यान आकर्षित करना उचित नही समझती है। आखिर रेलवे प्रबंधन क्यो नही सुविधा मुहैया कर रही है आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जबकि यह क्षेत्र कोयलांचल क्षेत्र होने के साथ ही कोतमा नगर आर्थिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथ ही एक दर्जन से अधिक सवारी गाड़ियों का आना-जाना है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आना-जाना रेलवे स्टेशन पर बना रहता है। सबसे ज्यादा पीने के पानी की परेशानी गरीब तबके के लोगों को होती है।

कुर्सियों को कुर्सी जरूरत

वर्तमान में कोतमा रेलवे स्टेशन की स्थितियां है कि प्लेटफार्म के नीचे टाइल्स लगाकर यात्रियों के बैठने के लिए जगह बनाई गई थी लेकिन वर्तमान में टाइल्स पूरी तरह से टूट गई है। यहां तक कि प्लेटफार्म में टाइल्स लगाकर कुर्सियां बनवाई गई थी वह भी पूरी तरह से टूट गई है। जिसकी देख रेख करने की फुर्सत स्टेशन प्रबंधन के पास नहीं है वही वर्तमान में रेलवे स्टेशन के अंदर नालियां गंदगी से भरी पड़ी है। जगह-जगह गंदगी देखने को मिल रही है जबकि रेलवे प्रबंधन के द्वारा रेलवे स्टेशन की साफ सफाई के लिए ठेकेदार के माध्यम से साफ सफाई की व्यवस्था सौपी गई है, लेकिन स्टेशन परिसर का भ्रमण करने पर साफ सफाई की पोल खुलती नजर आ रही है।

प्रसाधन में गंदगी, महिलाओं को होती परेशानी

स्टेशन परिसर में पेशाब करने के लिए प्रशाधन बनवाया गया है लेकिन वह पूरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी हुई है जिसके कारण यात्रियों को रेलवे स्टेशन के बाहर प्रशाधन करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गंदगी के कारण प्रशाधन से बदबू आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र से यात्रा करने रेलवे स्टेशन आई महिला ने बताया कि हम काम से हर दूसरे तीसरे दिन कोतमा रेलवे स्टेशन में यात्रा करने आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हम लोगों को बाथरूम करने के लिए होती है स्टेशन में बने शौचालय में हमेशा ताला लटकता रहता है। रेलवे स्टेशन में पीने के लिए पानी की भी सुविधा नहीं है जिसके लिए हमें स्टेशन के बाहर बाजार में जाकर पानी पीना पड़ता है या तो फिर पानी खरीद कर पीते हैं। हम लोगों के साथ छोटे-छोटे बच्चे भी रहते हैं जिन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । जबकि रेल प्रबंधन को कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण जमकर राजस्व का लाभ होता है उसके बाद भी कोतमा रेलवे स्टेशन के साथ रेल प्रबंधन का सौतेला व्यवहार समझ से परे है।

खुली नालियां दे रही दुर्घटनाओं को आमंत्रण

रेलवे प्रबंधन द्वारा रेलवे स्टेशन एवं परिसर में बनाए गए नालियों में चेंबर नहीं लगाए गए हैं जिसके कारण नालियों में गंदगी भरी पड़ी हुई है बारिश का पानी जब नाली में भर जाता है तो वह रेलवे स्टेशन के अंदर तक आ जाता है। नालियों में गंदगी भरी पड़ी होने के कारण मच्छर भी पनपते हैं जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक ओर पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर में यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर पेशाब कर रहा है तो उसे पर रेलवे प्रबंधन के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है वहीं दूसरी रेलवे स्टेशन में स्वच्छता के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करने के साथ ही पाइप लगाई गई थी जिसके कारण जानवर स्टेशन परिसर में नहीं प्रवेश कर पाते थे लेकिन रेलवे प्रबंधन के द्वारा उस पाइप को भी निकाल लिया गया है जिसके कारण मूक पशु स्टेशन के अंदर प्लेटफार्म तक पहुंच जाते हैं जिसके कारण कई मूक पशुओं की सवारी गाड़ियों के नीचे आने से मौत भी हो चुकी है, लेकिन रेलवे प्रबंधन व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

सफाई का ठेका हुआ समाप्त

रेल प्रबंधन के द्वारा स्टेशन परिसर एवं कर्मचारी कॉलोनी में सफाई के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया था उसकी अवधि भी समाप्त हो जिसके कारण स्टेशन परिसर एवं कॉलोनी में साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सीआई गैंग कामर्शियल मनेन्द्रगढ के द्वारा एक सफाई कर्मचारी भेजा भी जाता है लेकिन वह पर्याप्त नही है जिसके कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। खाली पड़े जगह पर कचरा फेंका जा रहा है एवं उस कचरे में आग भी लगा दी जाती है जिसके कारण कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सुविधा घर बना दिखावा

रेल प्रबंधन के द्वारा स्टेशन परिसर के बाहर यात्रियों की सुविधा के लिए आलीशान सुविधा घर का निर्माण करवाया गया है लेकिन जब से वह बना है तब से आज तक सुविधा घर में ताला जड़ा हुआ है। जिसके कारण उसका लाभ यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है।

अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश

6 आरोपी गिरफ्तार, चौकी वेंकटनगर पुलिस की कार्यवाही

अनूपपुर। 20 फरवरी को फरियादी मो. इकबाल पिता इस्माईल शेख उम्र 45 वर्ष निवासी गोरखपुर वार्ड क्र. 14 गौरेला जिला जीपीएम छ.ग. के द्वारा सूचना दी गई कि बाजार मे दुकान लगाकर रेडीमेंट कपडे का धंधा करता हूं। 20 फरवरी को मैं वेंकटनगर बाजार मे गणेश गुप्ता के बगल में दुकान लगाया था तभी मेरी दुकान में 4/5 महिलाएं आई थी उस समय 5.30 बजे थे। कपडा दिखाने के लिये बोली तो उनको पेन्ट शर्ट दिखाया तो कपडे देख रही थी मै दूसरे ग्राहक को कपडे दिखाने लगा तब तक महिलाएं चली गई मै सामान कपडे देखा तो पांच नग जीन्स पेन्ट एवं 03 नग शर्ट कीमती 2700 रुपए के नही थे उसी समय मेरी दुकान के पास पूजा चौधरी सिंहपुर की बताई कि मेरा पर्स चोरी हो गया पर्स मे विवो कम्पनी का मोबाईल और 400 रुपए नगदी थी तथा कपडा दुकानदार अखिलेश कुमार नामदेव बताया कि मेरी दुकान मे भी 6 बजे शाम करीब पांच महिलाएं आई थी साडी पेटीकोट, स्टाल देख रही थी। 5 नग साडी, 2 स्टाल दो पेटीकोट नही है कुल कीमती करीब 16000 रुपये का चोरी हो गया है। तब सभी लोग मिलकर एवं निहाल अहमद, अक्कू केशवानी के साथ महिलाओं की तलाश किये। वेंकटनगर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक मोती उर्र रहमान, अति.पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी, एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के निर्देशन मे थाना प्रभारी जैतहरी उनि विपुल शुक्ला के मार्गदर्शन मे तत्परता दिखाते हुये जनसहयोग एंव दुकानदारो के सहयोग से वेंकटनगर पुलिस द्वारा चोरी के गिरोह को पता लगाकर पकडा गया जिसमे आरोपी बाबी बाई, रीना बसोर, रंजीत बसोर तीनो निवासी ग्राम सलका थाना बैंकुठपुर जिला कोरिया, फुलकुंवर बसोर, सोनकुंवर बसोर, रूपा बसोर तीनो निवासी चंपाझार थाना पटना जिला कोरिया (छ.ग.) से पूछताछ की गई जो साप्ताहिक बाजार मे आकर दुकानदारो की दुकान मे भीडभाड मे घुसकर सामान चोरी करना बताये एवं मौका पाकर पर्स मोबाईल चोरी करने बताये जो आरोपियों के कब्जे से चोरी गया मोबाईल, पर्स, नगदी, साडी जींस पेन्ट स्टाल पेटीकोट कुल कीमती 16000 का नगदी एवं सामान जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही मे उनि अमरलाल यादव चौकी प्रभारी वेंकटनगर, प्रआर सुखदेवराम भगत, आर बलराम पेकरा, सोनू पर्ते, म.प्र.आर लेखनवती, प्रआर रामेश्वर सिंह सहयोग सराहनीय रहा।

हनुमान मन्दिर खाम्हीडोल दांडी महाराज जगतगुरु पद से हुए अभिसिंचित

अनूपपुर। बजरंग धाम हनुमान मन्दिर खाम्हीडोल जिला शहडोल में रह रहे दांडी महाराज को प्रयागराज महाकुंभ के पावन पर्व पर जगतगुरु पद से अभिसिंचित किया गया। अच्युत प्रपन्नाचार्य जगद्गुरु, महामंत्री अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्य बाड़ा, प्रयागराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी मधुसूदनाचार्य श्री वेदान्ती आश्रम गोलाघाट सुल्तानपुर के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र में पट्टाभिषेक किया गया। इस अवसर पर मधुसूदनाचार्य आचार्य, शालिक राम आचार्य, प्रशांत, शिविर अध्यक्ष सुदर्शनाचार्य, अनंताचार्य शिविर अध्यक्ष आदि उपस्थित थे।

7 फरवरी तिथि दशमी को सुबह 11 बजे आचार्य बाड़ा नगर में महाकुम्भ के पावन पर्व पर वेदान्ति आश्रम गोलाघाट के शिविर से.-14 तुलसी मार्ग में पद पट्टाभिषेक पूज्य ज. गुरू. रा. स्वामी रोहिणीश्वर प्रपन्नाचार्य महाराज पीठाधीश्वर पुरानी लंका चित्रकूट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उक्त पद प्रतिष्ठा महोत्सव में पूज्य ज.गुरू.रा. गुरुत्तरादायित्व से स्वामी देवान्शप्रपन्नाचार्य बजरंग धाम हनुमान मन्दिर खाम्हीडोल अभिसिंचित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सभी धर्माचार्य पूज्य ज.गुरू.रा. शिविराध्यक्षो की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। ज्ञातव्य हो कि गृहस्थ जीवन छोड़कर धर्म का क्षेत्र अपनाने वाले दांडी महाराज लगभग 16 हजार किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। जिससे इन्हें दंडवर्ती महाराज के नाम से जाना पहचाना जाने लगा है। बजरंग धाम हनुमान मन्दिर खाम्हीडोल में उन्हें गुरु जी के नाम से सभी जानते थे, लेकिन बजरंगबली की कृपा ऐसी हुई कि उन्हें गुरु जी से जगतगुरु से अभिसिंचित कर दिया गया। दांडी महाराज के जगतगुरु पद से अभिसिंचित होने पर उनके शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। एवं जगतगुरु से अपेक्षा की है कि उनका आर्शीवाद सदा उन पर बना रहे।

जल्द से जल्द लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण करें निराकरण

कलेक्टर ने प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश

अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण गंभीरता के आधार पर निराकरण करते हुए पदों को भरा जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में जो भी पद रिक्त है, उन्हें मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्धारित गाइडलाइन तथा जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जल्द से जल्द भरा जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि कोई भी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण बिना किसी कारण के लंबित न रहे अधिकारी यह भी विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर हर्षल पंचोली कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित लंबित अनुकंपा नियुक्ति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुश्री सरिता नायक, अधीक्षक भू-अभिलेख प्रदीप मोगरे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर को रिक्त पदों की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि पदों को भरने हेतु भोपाल पत्र भेजा गया है, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोई भी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण अनावश्यक भोपाल ना भेजा जाए, जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति की अनुशंसा के अनुसार उन रिक्त पदों को भरा जाए। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी अपने अनुसार अनुकंपा नियुक्ति न दें, जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति के द्वारा निर्णय किया जाएगा कि जिस विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता है, उस विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले के सभी विभागों में विभिन्न पदों की गणना करने तथा अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों को गंभीरता के आधार पर निराकरण करने, आरक्षण का रोस्टर प्लान करने तथा मार्च से पूर्व अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने पशुपालन विभाग, भू- अभिलेख, वन विभाग, आयुष विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, सहकारिता विभाग सहित अन्य विभिन्न विभागों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ट्रेलर ने स्कूली बस को मारी ठोकर, बच्चे घायल

मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी, तहसीलदार

अनूपपुर। शुक्रवार की दोपहर अनूपपुर जैतपुर मुख्य मार्ग के मध्य ग्राम पोड़ी के छुहाईटोला में अनूपपुर से विद्यालय के बच्चों को घर छोड़ने जा रही डीव्हीएम स्कूल की बस एमपी 65जेडबी 1983 को एक बड़े ट्रेलर सीजी 04 पीसी 7764 ने पीछे से ठोकर मार दी जिससे बस में बैठे कुछ बच्चों को चोट आई इस दौरान ग्रामीणों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी अनूपपुर इसरार मंसूरी, तहसीलदार अनूपपुर अनुपम पांडेय पुलिस दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, वहीं 108 एंबुलेंस से घायल बच्चों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेजा गया जहां सभी बच्चे सुरक्षित बताए गए हैं। इसी बीच मुख्य मार्ग के दोनों ओर वाहनों की संख्या अधिक होने पर यातायात निरीक्षक ज्योति दुबे द्वारा यातायात प्रारंभ कराया गया।

कृषि विभाग में हुए 2 करोड 29 लाख के गबन के मामले में अग्रिम जमानत खारिज

अनूपपुर। माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंकज जायसवाल की न्यायालय में नारायण दास गुप्ता उपसंचालक कृषि व परियोजना संचालक किसान कल्याण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व गबन के तहत दर्ज हुआ है जिसमें शासन की 02 करोड 29 लाख से अधिक की राशि का गवन हुआ है प्रकरण में ईओडब्ल्यू की ओर से पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा की गयी। अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्ध की गयी शिकायत जॉच में सही पायी गयी है। अभियुक्त द्वारा शासकीय पद पर रहते हुए शासन की 02 करोड 29 लाख की राशि का गबन किया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है। अभियोजन के तर्क व अभिलेख पर आये तथ्यों पर विचार करते हूए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई।